

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या FP/CG/TRANS/35105/2018

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	गावा तमनार ट्रान्समीशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 765 के.वी डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़(तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण						
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़						
(ii)	जिला	रायगढ़						
(iii)	वन प्रभाग :-							
अ)	वन विभाग के अधिन भूमि में :-							
कं	वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	विद्युत लाईन का सेक्शन	वन खण्ड	कक्ष कं	वन क्षेत्र में विद्युत पारेषण लाईन की लम्बाई(मी)	विद्युत पारेषण लाईन की चौड़ाई (मी)	प्रभावित रकबा (हे0)
1	धरमजयगढ़	छाल	15/7 - 15/9	संरक्षित वन	538 P	1127.015	67	7.551
2			संरक्षित वन	536 P	615.970	67	4.127	
3			15/1 - 15/4	आरक्षित वन	535	920.149	67	6.165
4			14/3 - 14/4	संरक्षित वन	525 P	346.716	67	2.323
5			15/1 - 15/3	आरक्षित वन	533	133.881	67	0.897
6			13/6 - 13/11	आरक्षित वन	519	1225.821	67	8.213
7				आरक्षित वन	520	848.358	67	5.684
8				14/1 - 14/3	असीमांकित वन	---	1430.299	67
योग:-					6648.209		44.543	

ब) राजस्व विभाग के अधिन वन भूमि में :-

कं	वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	ग्राम	विद्युत लाईन का सेक्शन	खसरा नं	वन क्षेत्र में विद्युत पारेषण लाईन की लम्बाई(मी)	विद्युत पारेषण लाईन की चौड़ाई (मी)	प्रभावित रकबा (हे०)
1	धरमजयगढ़	छाल	भूँडीबहरी	AP18 - 18/1	25 / 2 / क	437.910	67	2.934
2				18/1-18/3	42 / 2 / क	120.896	67	0.810
3				AP17 - AP18	49 / 1	18.358	67	0.123
4			बनहर	15/0 - 15/1	2 / 1	611.642	67	4.098
5				14/11 - AP15	126 / 1	187.015	67	1.253
6				15/1 - 15/2	213(2/1)	125.672	67	0.842
7				14/8 - 14/9	182 / 1	145.522	67	0.975
8				14/7 - 14/8	214 / 1 / क	30.597	67	0.205
9				भलमूडी	14/1 - 14/2	78 / 4	63.582	67
10			AP14 - 14/1		75 / 2	231.940	67	1.554
11			13/11-AP14		72 / 2 / क	40.000	67	0.268
12					65 / 2क	98.955	67	0.663
योग:-								
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)			58.694 हे० वन भूमि में				
(v)	वन की कानूनी स्थिति			संरक्षित वन, आरक्षित वन, असीमांकित वन एवं राजस्व वन				
(vi)	हरियालि का घनत्व			0.2 से 0.8				
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंघाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एक.आर.एल., एक.एक.आर.एल.-2मी. पर परिगणना और एक.आर.एल. 4 मी.भी संलग्न की जाए।			प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु परिधिवार,प्रजातिवार,वृक्षों की परिगणना संलग्न है।				

(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवेदित वन भूमि मृदा वनीकरण कठोर लाल मिट्टी है, क्षेत्र की भौगोलिक संरचना समतल है तथा भू-क्षरण से संवेदनशील नहीं है।																		
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित स्थल वन सीमा के अंदर है।																		
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाएं)	आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि के अन्तर्गत का वन क्षेत्र नहीं है।																		
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	<table><thead><tr><th colspan="2">प्रजाति</th><th colspan="4">स्थिति</th></tr></thead><tbody><tr><td>स्थानीय नाम</td><td>वैज्ञानिक नाम</td><td>दुर्लभ</td><td>संकटापन्न</td><td colspan="2">विशिष्ट</td></tr><tr><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td>निरंक</td><td colspan="2">निरंक</td></tr></tbody></table>	प्रजाति		स्थिति				स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
प्रजाति		स्थिति																		
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट																
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक																
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	आवेदित क्षेत्र तथा उसके आस-पास में सुरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। प्रमाण पत्र (संतर्भन है।)																		
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	आवेदित वन भूमि की मांग प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा की गयी है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। विकल्पों पर तुलनात्मक विवरण संतर्भन है।																		
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य चल रहे हैं।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।																		

10	प्रतिपूरक वनीकरण रिकम का ब्यौरा	जांजगीर चोंपा वनमण्डल के अंतर्गत राजस्व भूमि में 30.00 हे० एवं आरक्षित वन,संरक्षित वन एवं नारंगी वन क्षेत्र में 275.00 हे० प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिया गया है।																																																																																																
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	<table><tr><th colspan="6">प्रतिपूरक वनीकरण राजस्व भूमि, नारंगी, आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र में निम्नानुसार लिया गया है।</th></tr><tr><th>कं</th><th>वन परिक्षेत्र</th><th>वन खण्ड का नाम</th><th>खसरा न० / कक्ष क्रमांक</th><th>कुल रकबा (हे०)</th><th>क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)</th></tr><tr><td>1</td><td>बलौदा</td><td>राजस्व भूमि</td><td>941 / 1, ग्राम भिलौनी</td><td>61.924</td><td>10.000</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>राजस्व भूमि</td><td>44 / 1, ग्राम बिलासी</td><td>76.769</td><td>20.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>कुल राजस्व भूमि (हे०) योग(I)</td><td></td><td>138.693</td><td>30.000</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>PF 133, कटघरी</td><td>241.040</td><td>20.000</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>नारंगी वन भूमि</td><td>OA 149, जेवरा</td><td>116.240</td><td>30.000</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>RF 74, बैलटुकरी</td><td>180.390</td><td>50.000</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>PF 98, पहरिया</td><td>80.240</td><td>15.000</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>PF 99, पहरिया</td><td>44.550</td><td>10.000</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>PF 97, पहरिया</td><td>205.230</td><td>20.000</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>PF 84, पंतोरा</td><td>89.062</td><td>20.000</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>RF 77, अंगारखार</td><td>277.239</td><td>30.000</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>RF 67, जोंगरीपडंसी</td><td>191.821</td><td>20.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1425.812</td><td>215.000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>कुल राजस्व भूमि, संरक्षित वन, नारंगी वन एवं आरक्षित वन भूमि (हे०) योग(II+I)</td><td></td><td></td><td>245.000</td></tr></table>	प्रतिपूरक वनीकरण राजस्व भूमि, नारंगी, आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र में निम्नानुसार लिया गया है।						कं	वन परिक्षेत्र	वन खण्ड का नाम	खसरा न० / कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हे०)	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)	1	बलौदा	राजस्व भूमि	941 / 1, ग्राम भिलौनी	61.924	10.000	2		राजस्व भूमि	44 / 1, ग्राम बिलासी	76.769	20.000			कुल राजस्व भूमि (हे०) योग(I)		138.693	30.000	3		संरक्षित वन भूमि	PF 133, कटघरी	241.040	20.000	4		नारंगी वन भूमि	OA 149, जेवरा	116.240	30.000	5		आरक्षित वन भूमि	RF 74, बैलटुकरी	180.390	50.000	6		संरक्षित वन भूमि	PF 98, पहरिया	80.240	15.000	7		संरक्षित वन भूमि	PF 99, पहरिया	44.550	10.000	8		संरक्षित वन भूमि	PF 97, पहरिया	205.230	20.000	9		संरक्षित वन भूमि	PF 84, पंतोरा	89.062	20.000	10		आरक्षित वन भूमि	RF 77, अंगारखार	277.239	30.000	11		आरक्षित वन भूमि	RF 67, जोंगरीपडंसी	191.821	20.000					1425.812	215.000			कुल राजस्व भूमि, संरक्षित वन, नारंगी वन एवं आरक्षित वन भूमि (हे०) योग(II+I)			245.000
प्रतिपूरक वनीकरण राजस्व भूमि, नारंगी, आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र में निम्नानुसार लिया गया है।																																																																																																		
कं	वन परिक्षेत्र	वन खण्ड का नाम	खसरा न० / कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हे०)	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)																																																																																													
1	बलौदा	राजस्व भूमि	941 / 1, ग्राम भिलौनी	61.924	10.000																																																																																													
2		राजस्व भूमि	44 / 1, ग्राम बिलासी	76.769	20.000																																																																																													
		कुल राजस्व भूमि (हे०) योग(I)		138.693	30.000																																																																																													
3		संरक्षित वन भूमि	PF 133, कटघरी	241.040	20.000																																																																																													
4		नारंगी वन भूमि	OA 149, जेवरा	116.240	30.000																																																																																													
5		आरक्षित वन भूमि	RF 74, बैलटुकरी	180.390	50.000																																																																																													
6		संरक्षित वन भूमि	PF 98, पहरिया	80.240	15.000																																																																																													
7		संरक्षित वन भूमि	PF 99, पहरिया	44.550	10.000																																																																																													
8		संरक्षित वन भूमि	PF 97, पहरिया	205.230	20.000																																																																																													
9		संरक्षित वन भूमि	PF 84, पंतोरा	89.062	20.000																																																																																													
10		आरक्षित वन भूमि	RF 77, अंगारखार	277.239	30.000																																																																																													
11		आरक्षित वन भूमि	RF 67, जोंगरीपडंसी	191.821	20.000																																																																																													
				1425.812	215.000																																																																																													
		कुल राजस्व भूमि, संरक्षित वन, नारंगी वन एवं आरक्षित वन भूमि (हे०) योग(II+I)			245.000																																																																																													

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण परियोजना के लिए तैयार किया गया मैप में दर्शाया गया है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्य-व्यय एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	दस वर्षीय उच्च तकनीक सिंचित प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है। योजना पर वर्ष 2018-19 से 2027-28 तक कुल रूपये 17,79,36,150.00 का व्यय अनुमानित है। योजना-न्तर्गत मुख्यतः मिश्रित प्रजातियों के पौधे रोपित किये जावेंगे। कार्य वन विभाग द्वारा किया वनपरिक्षेत्र अधिकारी बलौदा के द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।	17,79,36,150.00 रुपये
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्तता कालम 7 (xi, xii), 8 एवं 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	उप वन संरक्षक धरमजयगढ़ वनमण्डल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र-III में दर्शाया गया है। जो संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	रायगढ़ जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 652744.000 वर्ग कि.मी है।
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	धरमजयगढ़ वनमण्डल का वन क्षेत्र - 244804.00 वर्ग कि.मी है।
(iii)	मानवों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	संख्या: 06 रकबा 528.624 हे0

(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)		50.00 हे०
	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:	
(क)	वन भूमि पर	587.00 हे०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भांग की गई वन भूमि न्यूनतम है एवं राष्ट्रीय हित में परियोजना स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।। चूंकि चरमपुर्जा, वन भूखंड के विपरीत क्षेत्र है इसलिए वन भूखंड की रिक्तता के अनुशासन हेतु वन के अंदर के उपभोजन से रक्षापदा प्राप्त होगी। Also: Phantom IV drone camera उपलब्ध कराई।

दिनांक:- 5/3/2019

हरसाक्षर

स्थान :- चरमपुर्जा

नाम प्रदाय निम्न

सहस्रपुर्जा निष्ठा
संरक्षक वनीकरण